



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 451

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

S.O-49- Dated- 29th June, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Table

Serial Number	Section	Rate of interest (in per cent)
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2017

एस० ओ०-49- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करती है ।

सारणी

क्रम सं०	धारा	ब्याज दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उपधारा (1)	18
2.	धारा 50 की उपधारा (3)	24
3.	धारा 54 की उपधारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा 56 का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
